झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :— 2 / पी०एम०सी० / कार्य—498 / 2017— .... / राँची, दिनांक ....

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड / बिहार
पो०—हिनू, राँची / पटना।

द्वारा :— **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :— **गोंडा जलाशय योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य के लिए रू० 974.085 लाख (रूपये नौ करोड़ चौहतर लाख आठ हजार पाँच सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग प्रक्षेत्राधीन हजारीबाग जिलान्तर्गत हजारीबाग प्रखण्ड में ग्राम— सलगामा के निकट निर्मित गोंडा जलाशय योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य के लिए रू० 974.085 लाख (रूपये नौ करोड़ चौहतर लाख आठ हजार पाँच सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. इस जलाशय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए नहर के मिट्टी तटबंधो को रूपांकित सेक्सन में लाने के साथ—साथ मुख्य नहर का पक्कीकरण (PCC lining) का प्रावधान किया गया है। मुख्य नहर के विभिन्न चेन पर 7 अदद् पुल के पुनर्निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। मुख्य नहर एवं शाखा नहर के विभिन्न चेन पर 7 अदद् CD संरचना के पुनर्निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। मुख्य नहर के चेन सं०— 16 से 22 एवं 55 से 56 में गार्ड वाल तथा मुख्य नहर एवं शाखा नहरों के भिन्न—भिन्न चेनों में 52 Outlet पुनर्निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।

4. प्राक्कलित रू० 974.085 (रूपये नौ करोड़ चौहतर लाख आठ हजार पाँच सौ) मात्र की लागत से योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित ई०आर०एम० कार्य कराकर वर्तमान में उपलब्ध कुल सिंचाई योग्य भूमि 450.00 हेक्टेयर के विरूद्ध 320 हे० खरीफ ह्रासित सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। मुख्य नहर में 6.15 कि०मी० तक पानी जायेगा।

5. मुख्य नहर का lining सहित योजना के जीर्णोद्धार कार्य का Incidence of cost लगभग रू० 3.04 लाख प्रति हेक्टेयर होगा।

6. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2017—18 में प्रारंभ कर पन्द्रह महीने में वर्ष 2018—19 में पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम है।

7. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग होंगे।

8. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य निहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

10. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उप शीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

11. वर्ष 2017–18 के बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

a. शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 45 में रू० 20000.00 लाख

12. योजना पर व्यय हेतु राशि की निकासी हजारीबाग कोषागार, हजारीबाग से की जायेगी।

13. पुनर्स्थापन कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2017–18 के बजट में उपबंध है।

15. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

16. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–498/2017– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची एवं योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–498/2017– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–498/2017– 09/17-18 प्र॰ सी॰ /राँची, दिनांक 19.05.2017

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, हजारीबाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/17
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
19/05/17